



अंतिम डिकरी व मुकदमें इबतदाई
(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम दांतारामगढ

इजलास मनोज कुमार मीणा आर.ए.एस

सतपाल

बनाम प्रवीण बलोदा आदि

दावा बाबत बंटवारा तथा स्थायी निषेधाज्ञा व रिकार्ड दुरुस्ती

मुकदमा नं० 49 ए/दावा सन् 2016

निर्णय दिनांक- 24.1.19

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू मनोज कुमार मीणा आर.ए.एस बहाजरी सी०एम०शर्मा मिनजानिव मुद्दई व बंशीधर वाज्या मिनजानिव मुद्दालह पेश होकर हुकम दिया जाता है वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण के तहसीलदार दांतारामगढ के पी०डी० प्रस्ताव क्रमांक 2806 दिनांक 25.09.2018 के मुताबिक सहमति से डिकरी दी जाती है। न्यायालय में पेश तहसीलदार दांतारामगढ द्वारा पी०डी० प्रस्ताव के अनुसार व पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड के अनुसार अंतिम डिकी निम्न प्रकार से जारी की जाती है:-

ग्राम का नाम अलोदा पटवार मण्डल अलोदा तहसील दांतारामगढ

क्र. सं.	प्रस्तावित खातेदारान का विवरण	ख.नं.	रकबा (है० में)	किस्म	लगान रूप्यो में
1.	सतपाल पुत्र रामकिशन जाति गुर्जर सा. ग्राम बडोली तह० व जिला फरीदाबाद हरियाणा खातेदार	1185/2	0.8578	बा०४	1.72
2.	जी.एल.डी.रियल स्टेट प्रा.लि.नई दिल्ली 209 एस.जी.शापिंग माल सेन्टर -9 डी. सी.चौक राहिणी दिल्ली 110085 जरिये डायरेक्टर राजेन्द्रसिंह पुत्र हवा सिंह प्रवीण बलोदा पुत्री ओमप्रकाश नि. 5/73ग्राउड फ्लोर सेक्टर 16 रोहिणी दिल्ली 110085हि० 3025/3522 किशोरसिंह पुत्र मूल सिंह हि.497/3522 जाति राजपूत सा.कैलाश खातेदार	1185/1	0.3522	बा०४	0.70

अतः तहसीलदार दांतारामगढ द्वारा प्रस्तुत पी०डी० प्रस्ताव निर्णय डिकी का भाग रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामंद करने हेतु तहसीलदार, दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

बीज मुबलिंग बाबत खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक को अदा करें।

बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24.1.19 को जारी की गई।


दस्तखत ओहदा

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ
डी.क.ब.



मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2	00	स्टाम्प वकालतनामा	2	00
स्टाम्प वकालतनामा	2	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	—	—	मेहनताना वकील पर ...		
मेहनताना वकील	—	—	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	—	—	फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर	—	—	बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा	—	—	मुतफरिंक	2	00
मुतफरिंक	4	4		4	00
मीजान			मीजान		

नोट: इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।


 (मनोज कुमार मीणा)
 उपखण्ड अधिकारी,
 दंतारामगढ
 उपखण्ड अधिकारी, दंतारामगढ
 सीकर